UPBS010045652022

न्यायालय II- ADJ, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SMT. MEENU SHARMA), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP05951**

फौजदारी निगरानी सांख्या–116/2022

हरीश द्विवेदी पुत्र स्व० साधूशरण, साकिन तेलिया जोत, थाना नगर, जिला बस्ती।

–––––––निगरानीकर्ता

बनाम

1– सरकार उ०प्र० ––––––––––––––––––विपक्षी

निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से अपराध संख्या 37/1995, सरकार बनाम गोपेश्वर त्रिपाठी, धारा 147,148,336,341,504 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जिला बस्ती के प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, बस्ती द्वारा पारित प्रश्नगत वारण्ट निरस्ती आदेश दिनांकित 27.07.2022 से विक्षुब्ध होकर दायर की गयी है जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरीश द्विवेदी के विरुद्ध जारी वारण्ट पर वारण्ट निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र दो हजार रूपए अर्थदण्ड लगाकर वारण्ट निरस्त किया गया है।

निगरानी से संबंधित मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, बस्ती में मुकदमा अपराध संख्या 37/1995, सरकार बनाम गोपेश्वर त्रिपाठी आदि, धारा 147,148,336, 341,504 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जिला बस्ती विचाराधीन है, जिसमें अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध बिना जमानती वारण्ट जारी किया गया था। जिसपर निगरानीकर्ता द्वारा वारण्ट निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र दिए जाने पर वारण्ट निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र दो हजार रूपए अर्थदण्ड लगाकर गैर जमानती वारण्ट निरस्त किया गया है। जिससे विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी दाखिल की गयी है।

मैने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अधिवक्ता एम.पी.एम.एल.ए. को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर दायर की गयी है कि निगरानीकर्ता के विरुद्ध फौजदारी का उपरोक्त मुकदमा व अपराध संख्या में वारण्ट आदेश हो गया था। जिसको निरस्त करने हेतु प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने दिनांक 27.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो हजार रूपए अर्थदण्ड लगाकर तथा अंडरटेकिंग दाखिल करने हेतु आदेश पारित किया गया है, जो विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है और निरस्त होने योग्य है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई विधिक व्यवस्था नहीं हैं, जिसमें वारण्ट निरस्त करते समय अर्थदण्ड से दण्डित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 27.07.2022 हर दृष्टिकोण से विधि विरुद्ध है, जिसे निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने की याचना की है।

अब न्यायालय को यह देखना है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 27.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि कारित की गयी है अथवा नहीं।

संबंधित वाद की पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियुक्त हरीश द्विवेदी के उपस्थित न आने के कारण दिनांक 21.07.2022 को गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया था। दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्त द्वारा वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर दिनांक 27.07.2022 को ही विद्वान अवर न्यायालय ए.सी.जे.एम.द्वितीय, बस्ती द्वारा अभियुक्त/निगरानीकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट निरस्त किए जाने का आधार पर्याप्त पाते हुए इस आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित रहेगा, अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट निरस्त किया, किन्तु साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त की गैर हाजिरी का आधार पर्याप्त होने पर अभियुक्त पर विधि के किस प्राविधान के अंतर्गत दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वस्तुतः अर्थदण्ड किसी व्यक्ति के अपराध में दोषसिद्ध होने के उपरान्त ही अधिरोपित किया जा सकता है।

अतः उक्त विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय ए.सी.जे.एम.द्वितीय, बस्ती द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित दो हजार रूपए अर्थदण्ड के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.07.2022 अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण है, जो अपास्त किए जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

यह फौजदारी निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, बस्ती द्वारा वारण्ट निरस्त किए जाने पर अभियुक्त पर अधिरोपित दो हजार रूपए अर्थदण्ड के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.07.2022 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह पुनरीक्षण में पारित निर्णय के अनुसार अर्थदण्ड के रूप में जमा करायी गयी दो हजार रूपए की धनराशि के बावत उचित आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित की जाए।

(मीनू शर्मा)
दिनांक–06.01.2023 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

मेरे द्वारा निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू शर्मा)
दिनांक–06.01.2023 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

Digitally signed by MEENU SHARMA
Date: 2023.01.06 16:18:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court